न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 235/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
दमाराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी भलखाड़ी तहसील सिणधरी		1. पेमाराम पुत्र वीरमाराम जाति जाट निवासी भलखाडी तहसील सिणधरी 2. तहसीलदार सिणधरी 3. खेमीदेवी पत्नी कुंपाराम 4. उमाराम पुत्र कुंपाराम जाति जाट निवासी निम्बली तहसील सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री पाबुराम बेनीवाल, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उपस्थित।
3.विप्रार्थी संख्या 3 से 4 एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 05.03.2025

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1/3 क्षेत्रफल 11.7467 हैक्टर ग्राम भलखाड़ी पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 के खेत खसरा संख्या 29/1 रकबा 9.5947 हैक्टयर ग्राम भ[illegible] भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर [illegible] के लिए विप्रार्थी स.1 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना प[illegible] विप्रार्थी सं[illegible] भूमि पर काश्त कर [illegible] कर देते है। जिससे प्रार्थी को [illegible] में समस्या आती है। [illegible] प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है.और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम भलखाडी पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 29/1 भूमि में होकर गुजरते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:14:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 की तरफ से वकील श्री भंवरलाल सारण ने वकीलतनामा पेश किया। विप्रार्थी सं. 3 से 4 को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 1/3 क्षेत्रफल 11.7467 हैक्टर ग्राम भलखाड़ी पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 के खेत खसरा संख्या 29/1 रकबा 9.5947 हैक्टयर ग्राम भलखाड़ी पटवार मण्डल पायला खुर्द भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सडक तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी जोत से आवागमन हेतु निकटतम विकल्प के रूप में खसरा संख्या 92 रकबा 5.6306 हेक्टयर में रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4.विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:14:10 IST
Reason: SelfAttested

5.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और [illegible] संलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में [illegible] पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की सहख़ातेदारी भूमि खसरा संख्या 1/3 क्षेत्रफल 11.7467 हैक्टर ग्राम भलखाड़ी पटवार मण्डल पायलाखुर्द तहसील सिणधरी से सड़क मार्ग के मध्य विप्रार्थी स. 3 से 4 के खेत खसरा संख्या 92 रकवा 5.6306 हैक्टयर ग्राम निम्बली पटवार मण्डल पायला खुर्द में से नया रास्ता को स्वीकृत करनें तहसीलदार सिणधरी अपनी अभिशंषा सहित मौका जांच कर रिर्पोट पत्र कमांक 270/28.01.2025 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा भलखाड़ी पटवार मण्डल पायला खुर्द की खसरा संख्या 1/3 में पहुचनें के लिए ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

निम्बली के खसरा संख्या 92 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचने के लिए उक्त खेतो में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचने के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। विप्रार्थी संख्या 03 व 04 को न्यायालय से जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया था। विप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 3 से 4 को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण, प्रार्थी द्वारा चाही गई इस्तदुआ से भली–भांली जानकार है तथा जानबूझकर प्रकरण में निस्तारण हेतु स्वयं उपस्थित नहीं हो रहे अथवा प्रार्थी की इस्तदुआ से सहमत है। परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 92 में लम्बाई 75 गट्ठा एवं चौड़ाई 03 गट्ठा रकबा 0.0890 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि–443413/– रूपयें प्रति हैक्टयर ःहै। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्तं भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने के हकदार है।

6.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम निम्बली पटवार मण्डल गोलिया जीवराज के खसरा संख्या 92 में लम्बाई 75 गट्ठा एवं चौड़ाई 03 गट्ठा रकबा 0.0890 हैक्टयर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर –––दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को विप्रार्थी संख्या 03 से 04 को क्षतिपूर्ति की गणना कर भुगतान हेतु तहसील कार्यालय, सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार सिणधरी के पत्र क्रमांकःभू.अ./वाद/2024/270 दिनांक 28.01.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:14:10 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 05.03.2025 को लिखा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी